सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ट सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	वर्तमान एजेण्डा ।	3
3.	परिचय एवं उद्देश्य	4—5
4.	आय एवं माल लदान का संक्षिप्त विवरण।	6—7
5.	प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव।	8—14
6.	पिछलें प्रेम बैठक (24.08.2017) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी।	15—35

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.30	11.32
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय सम्बोधन।	महाप्रबंधक	11.32	11.37
3.	पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.37	11.52
4.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.52	12.12
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	ईसीआरपीएफए	अध्यक्ष	12.12	12.22
		महासचिव		
	एससी एसटी एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.22	12.32
		जोनल सचिव		
	ओ0बी0सी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.32	12.42
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.42	12.52
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.52	13.02
		महासचिव		
5.	वर्तमान एजेण्डा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	13.02	13.18
6.	वर्तमान एजेण्डा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष के अनुमति से	13.18	13.28
7.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.28	13.30

चर्चा का विषय

1. स्टेशन, कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना।

2. जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।

INTRODUCTION

- P R E M (Participation of Railway Employee in Management)
- It was setup in the ministry of Railway in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977.
- On Indian Railways it is working on three-tier basis.
  1. The Railway Board Level (Corporate Enterprise Group of Labour of Management)
  2. The Zonal Railway Level
  3. The Divisional Railway Level

RAILWAY BOARD LEVEL

- Chairman - Chairman Railway Board
- Convenor - Secretary Railway Board
- Administrative side-Members Railway Board, Advisers & ED's,
- Staff side - Four representatives of NFIR & AIRF each.
- Four representatives of federation of Railway officers.
- Four representatives of federation of promotee officers association.

ZONAL LEVEL

- Chairman - GM
- Secretary - Dy. GM (G)
- Administrative side - AGM & All PHODs
- Staff side - Four representatives of ECRKU
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.
- Two representatives of SC&ST Association.
- Two representatives of OBC Association.
- Two representatives of RPF Association

DIVISIONAL LEVEL

- Chairman - DRM
- Sectretary - Sr. DPO/ DPO
- Administrative side - ADRM & Branch Executives
- Staff side - Four representatives of ECRKU.
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.

PREM Meeting held at Zonal Level-2016

- Meeting : once in three months :
- 1st Meeting : 29 April 2016
- 2nd Meeting : 02 September 2016
- 3rd Meeting : 15 December 2016

PREM Meeting held at Zonal Level-2017

- 1st Meeting : 24 March 2017
- 2nd Meeting : 24 August 2017

OBJECTIVES

- To have better and systematic participation of labour in management with the main objective of improving the efficiency viability of Railway organisation and building the image of Railways as a service organisation
- To proved free flow of exchange of ideas on the running and shaping of Railway organisation
- Appraise the investment programme particularly in regard to housing and welfare activities.
- **Note:** Staff matters could not be discussed unless linked with the overall productivity of the organisation.

Workers Participation in Management

- Whitely Committee in UK during 1917 has recommended that workers should be given opportunity to participate in the discussion for -
- Promoting productivity for the general benefit of the organisation, employee and community.
- Giving employees a better understanding of their role in the organisation in the process of production.
- Satisfying the workers urge of self expression, to achieve industrial peace, better relationship and cooperation.
- In Railways, workers participation is in practice for a long time by associating the representatives of trade unions in different areas like:
- Staff benefit fund committee
- Quarters committee
- Housing committee
- Running room advisory committee
- Canteen management committee
- Hospital visiting committee
- Labour advisory committee
- Executive committees of Railway Institute and clubs
- Workshop productivity councils etc.
- In addition in the area of workers participation in management, corporate enterprise groups of management and labour have been formed at Railway Board, Zonal Railway and Divisions, which is now being called as Participation of Railway Employees in management(PREM)

वास्तविक आय (Originating Earnings) (2017–18)(नवम्बर,2017 तक)

(करोड़ रूपये में

	उपलब्धि	लक्ष्य	संचयी उपलब्धि (नवम्बर ,2017 तक)

मद	(2016–17)	(2017–18)	वास्तविक (2016–17)	आनुपातिक लक्ष्य (2017–18)	उपलब्धि (2017–18)	% अंतर 2016–17	% अंतर आनुपातिक लक्ष्य
यात्री आय	2602.78	2751.62	1770.46	1871.71	1846.24	**4.28**	**-1.36**
अन्य कोचिंग आय	141.46	148.53	96.52	101.34	107.76	**11.65**	**6.34**
माल आय	10746.90	11456.19	6685.80	7127.05	8071.83	**20.73**	**13.26**
विविध आय	178.11	249.91	78.75	193.15	99.17	**25.93**	**-48.65**
कुल आय	13669.25	14753.54	8631.53	9293.25	10125.00	**17.30**	**8.95**

संविभाजित आय (Apportioned Earnings) (2017–18)(नवम्बर,2017 तक)

(करोड़ रूपये में)

मद	वास्तविक 2016–17	लक्ष्य 2017–18	वास्तविक नवम्बर 2016 के अंत तक	बजट अनुपात नवम्बर 2017 के अंत तक	वास्तविक नवम्बर 2017 के अंत तक (लगभग)	पिछले वर्ष की तुलना में		आनुपातिक लक्ष्य	
						अंतर	% अंतर	अंतर	% अंतर
यात्री	2334.38	2456.58	1578.65	1699.06	1645.07	66.42	4.21	-53.99	-3.18
अन्य कोचिंग	54.70	80.00	34.51	56.11	35.79	1.28	3.71	-20.32	-36.21
माल	8302.24	9140.00	5192.63	5694.93	5517.44	324.81	6.26	-177.49	-3.12
विविध	178.11	249.91	78.75	193.15	99.17	20.42	25.93	-93.98	-48.65
कुल	10869.43	11926.49	6884.54	7643.25	7297.47	412.93	6.00	-345.78	-4.52

माल लदान (FREIGHT LOADING PERFORMANCE)
(मिट्रिक टन में)

(नवम्बर, 2017 तक)

मद	वास्तविक 2016–17	लक्ष्य 2017–18	लक्ष्य 2017–18	वास्तविक 2016–17	वास्तविक 2017–18	% अंतर 2016–17	% अंतर लक्ष्य
	वार्षिक		अप्रैल– नवम्बर				
कोयला	105.33	110.65	70.96	65.62	74.35	13.31	4.78
कच्चा माल (स्टील प्लान्ट के लिए)	0.08	0.16	0.08	0.04	0.14	227.27	80.00
सीमेंट	1.37	1.56	1.26	0.95	2.04	115.12	61.51
मिनरल ऑयल	1.05	1.28	0.83	0.71	0.90	26.30	8.19
खाद्य सामग्री	1.37	1.80	1.00	0.88	1.10	25.51	10.20
अन्य	6.97	6.55	4.28	3.98	3.30	-17.07	-22.83
कुल	116.17	122.00	78.41	72.18	81.83	13.37	4.36

टिकट जॉच का कार्य

(नवम्बर, 2017 तक)

विवरण	गत वर्ष 2016–17 नवम्बर , 2016 तक	चालू वित वर्ष 2017–18 नवम्बर , 2017 तक	% अंतर गत वर्ष के साथ
पेनाल्टी मामलों की संख्या (लाख में)	13.24	15.46	16.75
पेनाल्टी आय (करोड में)	52.56	62.88	19.63
यूबीएल मामलों की संख्या (लाख में)	2.83	2.44	-13.55
यूबीएल से आय (करोड में)	1.62	1.37	-15.34

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

1.0	**एजेंडा–(1)** स्टेशन,कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना।	प्रेम ग्रुप/ विभागाध्यक्ष
1.1	(क) रेलवे कॉलोनियों की सफाई– पूर्व मध्य रेल में सभी कॉलोनियों की सफाई का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग पर है । लेकिन क्वार्टरों के अनुपात में स्वास्थ कर्मी कम है । इसलिए भली–भांति सफाई नहीं हो पाती है। अतः ऐसी स्थिति में आवास संख्या के मुताबिक काम का बंटवारा एवं इलाके के अनुसार करने पर ही सफाई हो सकती हैं। विशेषतः ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों के आवास वाले क्वार्टरों एवं कॉलोनियों की सफाई भली–भांति नहीं होती है। सुझाव – कॉलोनियों के प्रत्येक पथ एवं क्वार्टरों के ईर्द–गिर्द रोजमर्रा अथवा एक रोज के अंतराल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ कॉलोनियों के क्वार्टर में रहनेवाले कर्मियों को भी समय–समय पर स्वास्थ विभाग द्वारा सफाई की महता का प्रशिक्षण देना चाहिए। कम से कम माह में एक बार कॉलोनियों मे जाकर इससे मिलने मिलनेवाले फायदे के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। (ख) स्टेशन परिसर एवं ट्रेनों में स्वच्छता के लिए सफाई कमी को बराबर उपस्थित रहना चाहिए। किसी प्रकार के गंदगी को तुरंत हटा देना चाहिए। क्योंकि परिसर में यात्रियों का बराबर आना–जाना रहता है। बीच–बीच में ध्वनि प्रसारण द्वारा चात्रियों का ध्यान आकृष्ट कर साफ–सफाई पर निर्देशित करना तथा गंदगी न लगाना एवं व्यवस्थित जगह पर निकृष्ट वस्तुओं को अनधिकृत भेन्डरों द्वारा खाने–पीने की वस्तुओं की विक्री पर रोक लगाना। अनाधिकृत भेन्डरों के लिए सफाई की व्यवस्था संबंधी उपकरण (कूड़ादान) लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि यात्रीगण इधर–उधर रेल परिसर में न फेके। (ग) बड़े स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव स्थिति में शौच का व्यवहार न करने के लिए ट्रेन आने पर यात्रियों को ध्वनि प्रसारण द्वारा आग्रह करने की व्यवस्था करनी चाहिए। (ध) ट्रेनों में अवैध भेन्डरों द्वारा खाने–पीने की चीजों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यात्रियों द्वारा ट्रेनों में गदंगी न हो। (ड.) कॉलोनियों एवं ट्रेनों की सफाई के लिए समय–समय पर प्रचार करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इसके प्रति जागरूक रहें।	महासचिव ईसीआरकेयू
1.2	**(क) स्टेशन में :–** (i) स्टेशन में जगह–जगह पर डस्टवीन लगाया जाना चाहिए एंव उसके अन्दर पॉलीथीन लगा हो। (ii) स्टेशन पर समय–समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान अवश्य चलाना चाहिए। (iii) अनधिकृत वेंडर के द्वारा गंदगी फैलाने पर रोक लगना चाहिए। आउट सोंसिग से सही ढ़ग से सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। **(ख) रेलवे कॉलोनी :–** (i) रेलवे कॉलोनी में सफाई नाम का चीज नही रह गया है। आउट सोंसिग से सफाई कराया जाता हैं जो संतोषजनक नहीं है। ठेकेदार पर किसी का नियंत्रण नही है।कर्मचारी उनसे अपनी ब्यथा नही बता सकते है। (ii) रेलवे कॉलोनी में स्वच्छ जल नही मिल पाता है।पानी टंकी का उपरी भाग खुला रहता है। जिसमें पंछियों द्वारा गंदगी फैला दी जाती है। समय पर पानी टंकी सफाई नहीं	महासचिव ओबीसी. एशो.

	हो पाता है। कही–कही रेलवे कॉलोनी में सुअर खुले आम घूमता है एवं गंदगी फैलाता है। (iii) रोड का टूटा– फूटा रहना भी स्वच्छता को प्रभवित करना है। यदि बगल के पंचायत या नगर परिषद के माध्यम से सफाई सहयोग मिलता है तो उसे लेना चाहिए। **(ग) रेल गाड़ियों में :–** रेल गाड़ियों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाना चाहिए खासकर बड़े स्टेशनों पर समय–समय पर चलाना चाहिए। हमारे संगठन द्वारा भी समय–समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बायेंटॉलेट की व्यवस्था वाली ट्रेन में डस्टबिन वाशरूम में रहना चाहिए ताकि यात्री गंदगी उसी में डाले।	
1.3	1.स्वच्छता को प्रभावित करने वाले एवं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। 2.रेल कर्मचारियों एवं रेल यात्रियों को स्वच्छता के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जाय। 3.रेल आवासों एवं कार्यालयों के स्वच्छता के स्तर को एक समिति बनाकर मापा जाए तथा तदनुसार प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाए। 4. स्वच्छता अभियान में वार्ड पार्षदों, मुखिया, एन0जी0ओ0, जिला प्रशासन आदि का सदुपयोग किया जाए । 5. स्वच्छता के कार्य में लगे एजेन्सी की कार्यो पर नजदीकी नजर रखी जाए। 6.सफाई के पश्चात् कूड़ा/ कचड़ा का उठाव प्रत्येक दिन तथा उसका यथोचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 7. कचड़ा से खाद्य आदि बनाने जैसे नवीनतम तकनिकि का उपयोग राज्य सरकार या निजी संस्था के सहयोग से किया जाए।	अध्यक्ष आरपीएफ एशो0
1.4	स्टेशन के सफाई हेतु आउट–सोंसिंग किया गया है। परंतु आउट– सोंसिंग के तहत सफाई कराये जाने के संबंध में नियम तथा शर्तो के साथ ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मी के संबंध में विवरण स्टेशन परिसर में दर्शाया जाना चाहिए । कॉलोनियों की सफाई हेतु भी आउट–सोंसिंग के तहत सफाईकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए,जिसमे रे.सु.ब. के बैरकों की सफाई हेतु भी व्यवस्था होनी चाहिए । कॉलोनियों की पानी निकासी एक बड़ी सम्स्या है। जैसे हाजीपुर मुख्यालय के नजदीक हाजीपुर दक्षिण कॉलोनी का चाहरदिवारी टूटा होने के कारण काफी भयावह स्थिति बन जाती है। संरक्षा हेतु रे.सु.ब के मार्गरक्षण पार्टी को इंटर चेंजिंग पॉवाइंट जैसे गया मुगलसराय ,राजगीर ,किउल पाटलीपुत्र ,बरौनी इत्यादि स्थानपर रनिंग रूम के समान व्यवस्था होनी चहिए ताकि कार्य क्षमता का विकास हो सके।	कार्यकारी महासचिव आरपीएफ एशो0
1.5	**स्टेशन–** स्टेशनों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु स्टेशनों का वर्गीकरण किया गया है और उसी के अनुसार विभिन्न विभागों को दायित्व सौपा गया है। बड़े स्टेशनों पर चिकित्सा विभाग को, कुछ स्टेशनों को वाणिज्य विभाग एवं अन्य छोटे स्टेशनों को परिचालन विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। परिचालन विभाग के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों को बाहरी एजेन्सी के द्वारा सफाई करायी जाती है। इसके लिए स्टेशन मास्टर को कैश इम्परेस्ट भी दिया गया है, तथा उक्त स्टेशनों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण भी इन्हीं के देखभाल में की जाती है। रेल गाड़ियों में डिपो स्टेशनों पर साफ–सफाई करवाया जाता है। गाडी खुलने पर **“ऑन बोर्ड”** भी सफाई की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी सफाई हेतु नोटिश स्टेशन को पूर्व में ही नामित किया गया है जहॉ पर गाड़ियों के ठहराव के मुताबिक सफाई की व्यवस्था की गई है और इसकी पूरी जानकारी WTT में दिया गया है। **रेलवे कॉलोनीः–** सामान्यतः मेडिकल/चिकित्सा विभाग के द्वारा बाहय एजेन्सियों से सफाई	प्रमुपरिप्र

	की व्यवस्था की गई है।	
1.6	**स्टेशन कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना:–**स्टेशन कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता रेलवे के मैनुअल के अनुसार होता है। बाह्य स्वच्छता की शुरूआत अंर्तमन से होती है। यदि अंर्तमन मलीन है तो बाह्य स्वच्छता टिकाऊ नहीं रह सकती है। जन चेतना जागरण बाह्य सवच्छता के लिये अत्यन्त आवश्यक है Print Media, Display Boards, Audio-Video visuals इस कार्य के लिये सहायक हो सकते है। स्कूली बच्चों द्वारा चेतना जागरण मार्च निकालना आदि।	प्रमुइं
1.7	●स्वच्छता के प्रति जागरूकता से संबंधित पोस्टर/बैनर स्लोगन आदि का स्टेशनों पर प्रदर्शन और उद्घोषण द्वारा प्रचारित किया जाना । ●स्टेशन परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता तथा बेडरोल की सफाई से संबंधित शिकायतों की मोनिटरिंग । ●अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से स्टेशनों और ट्रेनों का निरीक्षण । ●अन्य स्टेशनों को भी स्वच्छता के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली में शामिल किया जाना और उनकी मोनिटरिंग करना । ●एस.आई.जी. की त्रिस्तरीय निरीक्षण में स्टेशन स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा मंडल स्तर पर जे.ए.जी./ब्रांच अधिकारी द्वारा और मुख्यालय स्तर पर एस.ए.जी. अधिकारियों द्वारा कराया जाना । ●रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने और अशोभनीय हरकत करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना । ●स्टेशन के फर्श को साफ करने के लिए उपयुक्त मेकानाइज्ड उपकरणों की मदद लिया जाना । ●कुछ नए प्रयोग यथा पटना जं. पर सी.सी.टी.वी. द्वारा स्वच्छता की मोनिटरिंग किया जाना । अन्य बड़े स्टेशनों पर भी इस व्यवस्था को क्रमवार ढंग से लागू करने की योजना । ●स्टेशनों पर अधिक संख्या में डस्ट–बीन की व्यवस्था किया जाना । ●प्रारंभिक पर रख–रखाव के दौरान सभी प्रारंभिक–स्वामित्व वाली ट्रेनों में मेकानाइज्ड कोच क्लीनिंग की व्यवस्था । • सभी प्रमुख मेल/एक्स. ट्रेनों में स्वच्छता और साफ–सफाई को सुनिश्चित करने हेतु 'ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस' की व्यवस्था किया जाना । ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस दानापुर मंडल के त्छब्ब क्मचवज में ट्रेन नं. 12309/10, 13201/02, 13237/38–39/40, 12355/56, 12395/96, 12393रु94, 12023/24, 12065/66, 13281/82, 22353/54 एवं 22355/56 दानापुर डिपो में 13255/56, 23251/52, 13245/46–47/48 एवं 13287/88 राजगीर डिपो में 12391/92 धनबाद मंडल के धनबाद डिपो में 13351/52 उपं 13307/08 मुगलसराय मंडल के गया डिपो में 12397/12398 सोनपुर मंडल के बरौनी डिपो में 12553/54, 12521/22, 15203/04 एवं 15231/32 समस्तीपुर मंडल के रक्सौल डिपो में 15273/74, सहरसा डिपो में 15279/80 जयनगर डिपो में 12569/70 प्रावधान किया गया है । • 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' स्कीम मुगलसराय और बरौनी स्टेशनों पर लागू किया गया है । इस स्कीम के तहत गुजरने वाली ट्रेनों में उनके निर्धारित ठहराव के दौरान सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना । • रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुरूप पूर्व मध्य रेल में आने वाली सभी ट्रेनों में पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल का प्रावधान किया जाना ।	प्रमुवाप्र

1.8	● विगत दो स्वच्छता पखवाड़ों के दौरान विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पोस्टर, बैनर, पम्पलेट्स, स्टिकर के साथ–साथ रेडियो एवं लोकल टीवी चैनलों एवं समाचार पत्रों में स्वच्छता जागरूकता संदेश का प्रचार–प्रसार बृहत् स्तर पर किया गया है। पूमरे के मोबाइल उपभोक्ता पर रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति संदेश प्रसारित किया गया। ● रेलवे स्टेशन परिसर की स्वच्छता सुधार हेतु कई गैर–सरकारी संगठन समय–समय पर भागीदारी निभा रहे हैं। ● रेलवे अधिकारियों के कोर ग्रुप द्वारा रेलवे परिसर एवं ट्रेन परिचालन में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की गई एवं यात्रियों द्वारा स्वच्छता संपुष्टि ली गई तथा स्वच्छता सुधार हेतु स्टेशन एवं ट्रेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ● गंदगी फैलाने वाले रेल यात्रियों पर जुर्माना की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ● बॉयो–टॉयलेट कट मॉडल का प्रदर्शन विशेष स्टेशनों पर किया गया है। ● सफाई से संबंधित पूमरे के सभी स्टेशनों पर कूड़ेदान की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। ● कोच मित्र एवं क्लीन माई कोच एप द्वारा रेलगाड़ी परिचालन के दौरान पाई गई गंदगी का तीव्रतम् निष्पादन ओबीएचएस कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ● रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्टेशन एवं ट्रेनों के रख–रखाव संबंधी स्टैण्डर्ड बिड डॉक्यूमेंट प्रक्रियाधीन है।	प्रमुयांई
1.9	"चिकित्सा विभाग के अधिन ए–1, ए, बी, डी एवं ई श्रेणीयों के 34 स्टेशनों के साफ – सफाई का कार्य आवंटित है, जिसमें से 05 स्टेशनों का सफाई कार्य विभागीय एवं शेष 29 स्टेशनों का सफाई कार्य संविदा आधारित कराया जाता है। संविदा आधारित साफ सफाई कार्य वाले स्टेशनों पर साफ सफाई यांत्रिकृत, आंशिक रूप से यांत्रिकृत एवं मैनुअली कराया जाता है। उक्त कार्य के तहत संवेदक के द्वारा रेलवे स्टेशन, भवन, परिसर के साफ सफाई के अलावे रैग पिकिंग, कचरा निपटान का कार्य मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं वमंचिधि/स्वास्थ्य के निरिक्षण में नियमित रूप से किया जाता है साथ ही साथ नाले से निकले कचरे को नगरपालिका के द्वारा नामित स्थल पर निष्पादन किया जाता है। जिन रेलवे कॉलोनियों में साफ सफाई कार्य हेतु सफाईकर्मी का पद स्वीकृत है वहॉ साफ सफाई कार्य विभागीय कराया जाता है। अन्य कॉलोनियों में संविदा पर कार्य कराया जाता है। सभी कॉलोनियों के साफ सफाई का कार्य संविदा आधारित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ स्टेशन एवं कॉलोनियों में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु उच्च पदाधिकारीयों के द्वारा निरीक्षण एवं औचक निरीक्षण भी लगातार किया जाता है। रेलवे में स्वच्छता समय की एक जरूरत बन गयी है और भारतीय रेलवे का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। रेलवे में स्वच्छता जैसा महत्वपूर्ण कार्य आपसी सामंजस्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रेल प्रशासन एवं यात्रियों दोनों का सहयोग आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि जबतक रेल प्रशासन के साथ यात्रियों द्वारा बराबर की जिम्मेदारी नहीं निभायी जायेगी, रेलवे में साफ सफाई के लक्ष्य को हासिल करना कठिन है। यात्रीयों में जागरूकता लाये जाने हेतु स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा लगातार किया जाना चाहिये। उक्त के अलावे हेल्प बूथ खोला जाय साथ ही साथ लगातार साफ सफाई से संबंधित विज्ञापन स्टेशनों पर स्थापित टेलीविजन पर चलाया जाना चाहीए।	प्रमुचिनि

1.10	स्टेशन,कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए यात्रियों एवं कॉलोनी में रह रहे कर्मचारियों के बीच स्वच्छता जागरूकता अभियान चला कर एवं समय–समय पर विशेष सफाई अभियान चला कर स्टेशन,कॉलोनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सकता है।	प्रविस
1.11	**स्टेशन कालॉनी एवं रेलगाड़ियों में स्वच्छता सुनिश्चित करना–** स्वच्छ रेल के अभियान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसे हर रेलकर्मी, रेलयात्री पूर्ण मनोयोग से अपनाए । स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों को साफ–सुथरा रखने के लिए उद्घोषणा द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक करना होगा एवं यात्रियों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए । कालॉनी की स्वच्छता हेतु कालॉनी में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कम–से–कम सप्ताह में एक दिन स्वच्छता/साफ–सफाई हेतु एक घंटा श्रमदान करना चाहिए ताकि अपने आवास के आस–पास स्वच्छ वातावरण रखा जा सके ।	मुसुआ
2.0	**एजेंडा–(2) जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन।**	
2.1	(क) जाड़े के मौसम में कोहरा की स्थिति भयावह रहती है । ऐसी स्थिति में गाड़ियों का परिचालन संबंधी नियमों के प्रति कर्मचारियों को जागरूक कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। (ख) इस स्थिति में संरक्षित रेल परिचालन हेतु संरक्षा के लिए लोको पायलट/स्टेशन मास्टर/गार्ड को आपसी परिचालन हेतु बराबर समन्वय रखने के लिए उचित व्यस्था होनी चाहिए। (ग) जाड़े के मौसम में यह पाबंदी हो कि केवल लोको पायट/स्टेशन मास्टर/गार्ड के बीच ही बातचीत होकर गाड़ियों का परिचालन हो दूसरे अन्य लोगों के साथ नही हो। (घ) कुहासे से निपटने के लिए गाड़ियों के परिचालन में फोग सिगनल का व्यवहार होता था। (ड.) संरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कुहासे में लोको पायलट द्वारा गाड़ियों की गति गाड़ी के ब्रेक भार एवं दृष्टि के अनुकूल रखना चाहिए ताकि गाड़ी को आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र नियंत्रण किया जा सके।	महासचिव ईसीआरकेयू
2.2	● प्रथम रोक सिगनल से पहले पटाखा लगाया जाना चाहिए। ● सिगनल साईटिंग बोर्ड या अन्य बोर्ड का रंगाई एवं रिफलेक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। ● फॉग सिगनल डिवाइस का प्रयोग अविलम्ब होना चाहिए। ● इंजन में वाइपर ,बालू एवं लूकिंग ग्लाास साफ होना चाहिए। ● सिगनल के आसपास पेड़ की टहनी को काटना चाहिए ताकि सिगनल स्पष्ट दिखाई दें। ● सेक्शन में रात–दिन पेट्रॉलिंग होना चाहिए। ● सिगनल में लाइटिग(LED) की व्यवस्था स्पष्ट होना चाहिए। ● ऑलराइट सिगनल स्टेशन के दोनों तरफ से अवश्य दिया जाना चाहिए। ● वॉकी–टॉकी की व्यवस्था उच्च कोटि की होनी चाहिए इसकी कमी को दूर करना चाहिए।	महासचिव ओबीसी. एशो.
2.3	1.एन0एच0 पर लेबल क्रसिंग पर रोड गेट सिंगनल का रख–रखाव दुरूस्त रखा जाए। 2.मानव रहित फाटक कों समतल एवं सही हालत में रखा जाए। 3. लेबल क्रसिंगपर लगे स्पीड ब्रेकर मानक स्तर का एवं सही हालत में हो। 4.कुहासा के दौरान गेट मित्रों की मानव रहित फाटकों पर अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए।	अध्यक्ष आरपीएफ एशो0

2.4	इस संबंध में सभी वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक को इस कार्यालय का पत्र सं0 ECR/OPTG. Safety/Fog Precaution/48/505 दिनांक 01.08.2017, 20.09.2017, 09.10. 2017 एवं 01.11.2017 को पत्र लिखा गया है। जिसमें जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु G&SR 3.61 के प्रावधानों को Fog weather से पहले पुरा कर लिया जाय, जिससे रेलवे का संरक्षित परिचालन हो सके।	प्रमुपरिप्र
2.5	**<u>जाड़े में संरक्षित रेल परिचालनः–</u>** जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु इस कार्यालय द्वारा विस्तृत अनुदेश प्रतिवर्ष जाड़े के शुरूआत होने से पहले जारी की जाती है। इस वर्ष भी अर्द्धशासकिय पत्र संख्याः–ECR/ENG/W-4/432/09/Winter Precaution/Pt.-1/862, दिनांकः13 / 18.10.2017 द्वारा सभी मंडलों को भेजा गया है जिस पर मंडल द्वारा जाड़े में संरक्षित रेल परिचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।	प्रमुइं
2.6	**कुहासे के मौसम में –** (i) सभी गुडस वार्निंग बोर्ड, सी / फा बोर्ड, लिफ्टिंग बैरियर आदि को ल्यूमिनस पीला / काला पेंट से पेंटिंग कराया जाना तथा जहां आवश्यक हो, ल्यूमिनस स्ट्रीप का प्रावधान किया जाना चाहिए । (ii) पर्याप्त मात्रा में डेटोनेटर की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (iii) स्टेशन मास्टर फॉग सिगनल मैन को समुचित काउंसलिंग कर फॉग सिगनल रजिस्टर में हस्ताक्षर प्राप्त करा लेना चाहिए। **(2) पटाखा लगाने की विधि** – (i) पहला स्टॉप सिगनल से 270 मीटर की दूरी पर पटाखा सिगनल लगाना चाहिए । (ii) मल्टीपुल आस्पेक्ट सिगनलिंग व्यवस्था जहां एक ही डिस्टेंट सिगनल लगा है वहां पर होम सिगनल के निकट डेटोनेटर लगाया जाना चाहिए। (iii) 'बी' क्लास स्टेशन जहां लोअर क्वाडरेंट सिगनलिंग व्यवस्था है वहां आउटर सिगनल के पास डेटोनेटर लगाना चाहिए। **(3) इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां** (i) पेट्रोलिंग मैन की व्यवस्था की जानी चाहिए जो रेल फ्रैक्चर को देखकर उचित कार्यवाही करें एवं संबंधित अधिकारी को सूचित करे । **(4) लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां** (i) कुहासे के मौसम में जहां दृश्यता बहुत कम हो लोको पायलट को ट्रेन को इतना गति से चलाया जाना चाहिए कि वह किसी भी बाधा में अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर रोक सके। (ii) ऐब्सुल्यूट ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में –ट्रेन की अधिकतम गतिसीमा 60 कि.मी / घंटा हो। (iii) **(क)** ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम टेरीटोरी में– ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'हरा' पास करने के बाद ट्रेन की अधिकतम गति 60 कि.मी / घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। **(ख)** ऑटोमेटिक स्टॉप सिगनल 'डबल पीला' पास करने के बाद ट्रेन की गति 30 कि.मी / घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। **(ग)** ऑटोमेटिक सिगनल 'पीला' पास करने के बाद प्रतिबंधित गति से अगला स्टॉप सिगनल पर रूकने के लिए तैयार रहना चाहिए। **(iv)** लोको पायलट द्वारा गेटमैन एवं सड़क उपयोगकर्त्ता को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी इंटरमिटेंटली बजाया जाना चाहिए। **(V)** स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य – (क) सभी सिगनल दिन एवं रात में जलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	मुसंधि

	(ख) फ्रेश डेटोनेटर आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **विशेष सावधानियां–** (i) अप्रोचिंग ट्रेन के लिए लाइन क्लियर देने के बाद नन आइसोलेटेड लाइन में शंटिंग नहीं किया जाना चाहिए। (ii) यदि दृश्यता कम हो तो किसी ट्रेन के लिए लाइन क्लियर देने के बाद शटिंग नहीं किया जाना चाहिए।	
2.7	(1) जाडे में संरक्षित रेल परिचालन हेतु कुहासे के दौरान संरक्षा से संबंधित वर्ती जानेवाली सावधानियों के बार में सभी मंडलों को इस कार्यालय के दि. 31.10.17 के पत्रांक सं. ईसीआर/मेक/ओपीआर/330/एफ.डी. से अवगत करा दिया गया है एवं इनका पालन सभी मंडलों द्वारा किया जा रहा है। (2) इस कार्यालय के दि. 07.11.17 के पत्र सं. ईसीआर/ मेक/डीजल/724 द्वारा सभी डीजल शेड, डेमू शेड एवं मंडलों को डीजल इलेक्ट्रिक लोको/डेमू के लिए विंटर प्रिपरेशन ड्राइव से संबंधित निर्देश जारी किया गया है। (3)कुहासे के मौसम में रेल परिचालन में अतिरिक्त संरक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी एक्सप्रेस/पैंसेन्जर गाडियों में कार्यरत लोको पायलट को फॉग पास डिवाइस उपलब्ध कराया जा रहा है। (4)अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा विषेश रूप से रात्री के समय फुट प्लेट निरीक्षण किया जा रहा है।	प्रमुयांई
2.8	जाड़े के मौसम में संरक्षित रेल परिचालन के लिए रेल पथ की गहनता से निरंतर निगरानी होना चाहिए । निगरानी करने वाले कर्मी को ठण्ड से बचने के लिए उपयुक्त गर्म वर्दी आदि उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कर्मी ठण्ड के भय से निगरानी वाधित न करें । जाड़े में घना कोहरा होने के कारण सिग्नल में बाधा आती है जिसे दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए ।	मुसुआ

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 24.08.2017) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	विभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	**श्री एस.के.पाण्डे, महासचिव/ईसीआरकेयू**		
1.1	दिनांक 24.03.2017 को प्रेम बैठक में उठाये गये मुद्दे जो पृष्ठ संख्या 17 के क्रम संख्या 2.2 पर अंकित है, के जवाब के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और मेरा कहना है कि 09.00 से 14.00 बजे के बीच 02 पैसेंजर गाड़ी परिचालित की जाती है शेष अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियॉ हैं जिनका ठहराव छोटे स्टेशन पर नहीं है ।	प्रमुपरिप्र,	आरा–बक्सर के बीच सुबह नौ बजे से दो बजे के बीच गाड़ी सं0 63227 पटना–मुगलसराय मेमू, 63219 पटना–रघुनाथपुर पैसेंजर, 63225 पटना–मुगलसराय मेमू चलती है। इसके अतिरिक्त सात मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है। वर्तमान में आरा–बक्सर खंड की खंडीय क्षमता 150 प्रतिशत से अधिक है। अतः इस खंड पर नयी गाड़ी का परिचालन संभव नहीं है।
1.2	दिनांक 24.03.2017 को प्रेम बैठक में उठाये गये मुद्दे जो पृष्ठ संख्या 18 के क्रम संख्या 2.5 पर अंकित है, के जवाब के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं । मैंने रेल द्वारा रेल कर्मचारियों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने की मांग की है जिसके लिए जमीन उपलब्ध है।	प्रमुइं	दिनांक 24.03.2017 को प्रेम बैठक में उठाये गये मुद्दे के आलोक में 2.5 बीघे जमीन का कोई लोकेशन अंकित नहीं किया गया है। जिससे इसका उचित जबाब नहीं दिया जा सकता है। हलाकि दानापुर में कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण की प्रकिया चल रही है जो कि निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
1.3	मुगलसराय में डीजल ड्राईवर को रनिंग रूम हेतु लाईन क्रास करके जाना पड़ता है। अगर इसे इलेक्ट्रिक के साथ कंबाईड कर दिया जाय तो लाईन क्रास नहीं करना पड़ेगा।	प्रमुविइं, प्रमुयांई	मुगलसराय स्थित विधुत विभाग के अधीन यूनिफाइड क्रू लॉबी है जिसमें गार्ड एवं चालकों की बुकिंग होती है। इनकी अक्यूपेंसी के हिसाब से जगह बहुत कम पड़ जाती है। अतः जब तक फ्रेश एवं स्पेसल क्रू लॉबी का निर्माण नहीं हो जाता है, डीजल लॉबी को मर्ज करना संभव नहीं है। मुगलसराय मंडल में इंटीग्रेटेड रनिंग रूम एवं लॉबी का प्रस्ताव बन रहा है।
1.4	मुगलसराय स्थित डीजल/इलेक्ट्रीक के क्रू को रहने की व्यवस्था एक ही जगह पर किया जाए ।	प्रमुविइं,	मुगलसराय में लोको कॉलोनी स्थित रनिंगरूम मेकेनिकल विभाग के अधीन है, जबकि इंस्टीच्यूट कॉलोनी स्थित रनिंगरूम विधुत विभाग के अधीन है। दोनों की

			क्षमता बहुत ज्यादा है तथा दोनों के बीच लगभग 2 कि0मी0 का फासला भी है। ऐसे में दोनो जगह के क्रू को एक जगह करने के लिए एक बड़े रनिंगरूम का निर्माण की आवश्यकता होगी।
		प्रमुयांई	मुगलसराय स्थित डीजल/ इलेक्ट्रिक के क्रू को रहने की व्यवस्था पूर्व से ही किया हुआ है।
1.5	मुगलसराय स्थित रनिंग रूम में समुचित मात्रा में पानी पीने हेतु ग्लास उपलब्ध कराई जाए ।	प्रमुविइं,	विधुत विभागाधीन चल रहे रनिंगरूम की औसत क्षमता लगभग 40–50 के बीच है, जबकि 36 ग्लास मांसाहारी एवं 36 ग्लास शाकाहारी भोजनालय में उपलब्ध है जो आवश्यकता से कहीं अधिक है।
		प्रमुयांई	मुगलसराय स्थित रनिंग रूम में पानी की व्यवस्था हेतु ग्लास की पूरी व्यवस्था करा दी गई है।
1.6	मुगलसराय में एक क्रू की रनिंग रूम में ठहरने की व्यवस्था एक स्थान पर होनी चाहिए क्योंकि दूसरा क्रू जब बीच में आता है तो उनको डिस्टर्ब होना पड़ता है।	प्रमुविइं,	नवनिर्मित रनिंगरूम में दो बेड प्रति रूम पद्धति अपनायी जा रही है। मुगलसराय में नवनिर्मित सात रूम, गया रनिंग रूम, राजेन्द्रनगर टर्मिनल रनिंगरूम, गोमो रनिंग रूम तथा झाझा का नवनिर्मित 30 रूम इसके उदहारण है।
		प्रमुयांई	मुगलसराय में क्रू को ठहराने के लिए अधिकतम कमरों में दो बेडों एवं चार बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। जिससे बीच में आने जाने वाले क्रू को डिस्टर्वेन्स ना हो।
1.7	मुगलसराय स्थित परिचालन प्रशिक्षण स्कूल के कमरों में बेड काफी सटे हुए लगाया गया है । प्रशिक्षण स्कूल में कमरों की संख्या बढ़ाई जाए ।	प्रमुपरिप्र	नोट किया गया ।
1.8	मुगलसराय स्थित रंनिंग रूम के बीच में नाले हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है।	प्रमुविइं,	मंडल स्तर पर इसका सुधार होना अपेक्षित हैं।
		प्रमुयांई,	मुगलसराय स्थित रनिंग रूम 556 एवं 1102 के बीच में कोई भी नाला नहीं है।
		प्रमुइं	मुगलसराय स्थित रंनिंग रूम के बीच में नाले के स्लोप की समस्या थी उसे ठीक करा दिया गया है।

1.9	रेलवे अपने सिस्टम को सुधार कर अपने विभागों में समन्वय बनाकर स्वच्छता में सुधार कर सकती है ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया। –**प्रमुविइं** **स्वच्छता के लिए विभिन्न विभाग यथा मेडिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, परिचालन, वाणिज्य, सुरक्षा विभागों के बीच आवश्यकतानुसार कार्य-योजना बनते हैं । –प्रमुवाप्र** Sr.DEnHM का नया पद मुगलसराय में बनाया गया है, वो इस कार्य को करने में तत्पर है। –**प्रमुयांई** इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहें है।– प्रमुकाधि नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** परामर्श मान्य है। –**प्रमुचिनि** समय–समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है। –**प्रविस** स्वच्छता में उत्तरोतर विकास हेतु विभागों में समन्वय स्थापित किया गया है । वह स्टेशनों के वर्गीकरण एवं कार्य की मात्रा के अनुसार अलग–अलग स्टेशनों पर अलग–अलग विभाग को जिम्मेदारी दिया गया है । इसमें गुणात्मक सुधार भी परिलक्षित हो रहा है। –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।– **मुसंधि** इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।– **प्रमुइं**
1.10	अगर प्राइवेट कर्मी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो रेल अधिकारीगण अपना बंगला आदेशपाल भी प्राइवेट ही रखें ।	सभी विभागाध्यक्ष	यह बोर्ड स्तर का नीतिगत मामला है । –**प्रमुपरिप्र** यह नीतिगत मामला है।–**प्रमुचिनि** नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** यह नीतिगत विषय है।– **मुसंधि** यह नीतिगत मामला है तत्काल इसपर विचार करना अपेक्षित नहीं है।– **प्रमुइं**

2.0	**श्री एस.पी.श्रीवास्तव, अपरमहासचिव / ईसीआरकेयू**		
2.1	पिछले कई वर्षो में गाड़ियों की संख्या एवं क्रू की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन एक ही कमरों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई । रेलवे बोर्ड ने हाई पावर कमिटि बनाई है जिसमें रनिंग कर्मचारियों के संबंध में सुझाव दिया गया है । उसका अनुपालन करते हुए रनिंग रूम में कुल बेडों की संख्या बढ़ाई जाए ।	प्रमुविइं, प्रमुयांइ	मद सं. 1.6 में दर्शाये गये नवनिर्मित रूम एवं रनिंगरूम क्रू की संख्या को ध्यान में रखकर ही बनाया गया हैं। मुगलसराय में क्रू को विश्राम के लिए अतिरिक्त 40 बेड का प्रावधान किया गया है। धनबाद–पीक सीजन के जरूरत के हिसाब से रूम की व्यवस्था के लिए विश्लेशण किया जा रहा है। रूम की व्यवस्था के लिए प्रपोजल बनाया जाएगा।
2.2	रनिंग रूम में किचेन का चुल्हा, बर्तन इत्यादि पुरानी व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है जिससे क्रू को समयानुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सके ।	प्रमुविइं, प्रमुयांइ	इसके लिए समय–समय पर रनिंगरूम का निरीक्षण विभिन्न स्तरो पर किया जाता हैं। कमी पाये जाने पर कार्रवाई की जाती है। सिर्फ झाझा रनिंग रूम में बड़े किचेन की आवश्यकता है। **सोनपुर**–रनिंग रूम के पुराने बर्तनों को बदल दी गई है तथा नये चूल्हे की खरीद प्रक्रियाधीन है। दानापुर–पुराने बर्तनों को बदलने की व्यवस्था की जा रही है तथा नई चिमनी लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। **मुगलसराय, समस्तीपुर एवं धनबाद**– समय समय पर पुराने बर्तनों को बदला जाता है।
2.3	ठेकेदार द्वारा रनिंग रूम का कार्य पेट्टी कांट्रेक्टर को दे दिया जाता है जिससे गुणवत्ता में कमी आई है । टेंडर में ऐसी व्यवस्था की जाए कि ठेकेदार द्वारा रनिंग रूम में कार्य करने वाले कर्मचारी बहुकौशलीय हो ।	प्रमुविइं, प्रमुयांइ	रनिंगरूम निरीक्षण के दौरान क्रू से इस बात पर उनका विचार लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई की जाती है। साथ ही शिकायत पुस्तिका मे दर्ज शिकायत पर भी ध्यान निर्देशित है। रनिंग रूमों में कार्य करने वाले कर्मचारी बहुकौशली हो इसके लिए आगले टेंडर से ध्यान रखा जाएगा।
2.4	रनिंग रूम में ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का भी समय–समय पर स्वास्थ्य जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुविइं, प्रमुयांइ	इसके लिए मंडलीय अधिकारी निर्देशित है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण

		 प्रमुचिनि	सुनिश्चित की जाती है। यथा संभव प्रयास किया जायेगा।
2.5	टीटीई रेस्ट रूम में सफाई, बेड, मच्छरदानी , पानी, पंखा इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ।	प्रमुवाप्र, प्रमुचिनि	**टीटीई रेस्ट रूम में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं । जहाँ कमी है वहाँ सम्बंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उत्तरोतर सुधार किया जा रहा है ।** जिस स्टेशन के साफ–सफाई की जिम्मदारी चिकित्सा विभाग के अधीन है वहॉ साफ–सफाई का कार्य किया जाता है।
2.6	जिला स्तरीय शहर जैसे जहानाबाद, नवादा स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और सफाई की व्यवस्था पुराने तर्ज पर हो रहा है । सफाई व्यवस्था हेतु सर्वे कर नये सिरे से व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है ।	प्रमुयांई प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	पर्यावरण एवं रख–रखाव विभाग से संबंधित नहीं है। वर्तमान में जहानाबाद, एवं नावादा स्टेशनों की साफ–सफाई संविदा के आधार पर किया जा रहा है। **नयी नीति के अनुसार ए-1, ए एवं अधिकतर बी श्रेणी के स्टेशनों की साफ़-सफाई मेडिकल विभाग द्वारा किया जाना है । डी एवं ई श्रेणी के स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक के निगरानी में सफाई कर्मचारी तथा अन्य माध्यम द्वारा स्टेशन की सफाई सुनिश्चित किया जाना है । जिस स्टेशन पर सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है वैसे ई श्रेणी के स्टेशनों पर 10,000/- एवं डी श्रेणी के स्टेशनों पर 15,000/- की इम्प्रेस्ट राशि सफाई कार्य हेतु उपयोग होता है । समय समय पर सफाई कार्य की समीक्षा होती है, और तदनुरूप निर्देश दिए जाते हैं ।**
2.7	रेलवे कॉलोनी की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त किया जाए ।	मुचिनि	रेलवे कॉलोनियों का साफ–सफाई नियमित रुप से की जाती है।
2.8	रेलवे कॉलनी में मल्टीस्टोरी आवास का निर्माण कराया जाए जिससे सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके ।	प्रमुइं	जमीन की उपलब्धता एवं रेलवे प्रशासन की आवश्यकता, इंजिनियरिंग इकोनोमिक्स के अनुसार उचित कदम उठाया जाता

			है। रेल बिहार एवं दिघा में इस तरह के विल्डिंग का निर्माण रेलवे द्वारा किया गया है।
2.9	रेलवे कॉलोनी के परित्यक्त आवासों में अनिधिकृत लोग कब्जा जमाए रहते हैं जिससे रेलवे की बिजली एवं पानी का दुरूपयोग होता है और रेलवे की राजस्व का नुकसान होता है। परित्यक्त आवास को तोड़कर उसके स्क्रैप से रेलवे राजस्व में बढ़ोत्तरी होगा ।	मुसुआ प्रमुइं	रेलवे कॉलनी के परित्यक्त आवासों में अनिधिकृत प्रवेश/कब्जापर रोक के लिए एवं कब्जा से मुक्त करवाने हेतु संबंधित विभाग को रेसुब द्वारा सतत् सहयोग प्रदान किया जाता है। रेलवे कॉलनी के परित्यक्त आवासों में अनाधिकृत लोगों के खिलाफ समय–समय पर पी0पी0ई0 एक्ट के तहत सभी मंड़लों द्वारा कार्यवाही की जाती है। साथ ही समय–समय पर आवश्यकता अनुसार परित्त्यक्त अवास के बदले नये अवास के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर पुराने आवासों को तोड़कर उसके स्थान पर नये आवासों का निर्माण किया जाता है।
2.10	सचिवालय हाल्ट से पटना के बीच रेलवे पटरी पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है । सचिवालय हाल्ट से पटना के बीच बाउंड्री कराया जाय या राज्य सरकार या रेलवे द्वारा शुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाए जिससे पटरी पर गंदगी न हो ।	प्रमुइं प्रमुवाप्र	सचिवालय हाल्ट से पटना के बीच रेलवे द्वारा पहले से ही बांउड्री कराई गई है। सचिवालय हाल्ट से पटना के बीच रेलवे पटरी पर गंदगी को खत्म करने के लिए पटना जिलाधिकारी एवं दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखे गये है (पत्र संख्याः डब्लू–4/377/09/प्रेम/भाग.–V दिनांकः 05/11.12.2017) **यह मामला वाणिज्य विभाग से सम्बंधित नहीं है	स्टेशन परिसर के बाहर (पटरी के आसपास) रेलवे द्वारा इस कार्य का निर्माण और उससे जुड़ा रख-रखाव करना वित्तीय दृष्टिकोण से अव्यवहारिक है| उल्लेखनीय है कि जन-सामान्य के बीच स्वच्छता के प्रति**

			जागरूकता लाने की दिशा में केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मीडिया से प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जाता है। पी.आर.एस. टिकटों पर भी इस आशय का विज्ञापन छपा होता है। जन-संपर्क विभाग द्वारा स्वच्छता संबंधी जागरूकता अभियान के तहत रेलवे के विज्ञापनों में इस विशिष्ट विषय को भी शामिल किया जा सकता है।
3.0	**श्री सुशील कुमार , अध्यक्ष/ईसीआरपीएफए**		
3.1	कई स्थानों पर रनिंग रूम स्टेशन से दूर बने हुए हैं । गार्ड एवं लोको पायलट देर रात तक रनिंग रूम में आते–जाते रहते हैं । ऐसे में गार्ड एवं लोको पायलट रात्रि के समय में स्टेशन से दूर रनिंग रूम होने के कारण अपराधियों के शिकार हो जाते हैं । अधिक से अधिक रनिंग रूम सुरक्षा की दृष्टि से स्थल का चयन कर स्टेशन के नजदीक बनाया जाए ।	प्रमुइं, प्रमुविइं, प्रमुयांई	रनिंग रूम एवं अन्य सभी सुविधाओ के लिए स्थान का चयन संबंधित विभाग से सहमति, रनिंग रूम के लिए विभिन्न सुविधॉए, जमीन की आवश्यकता के अनुसार से किया जाता है। और प्रयास यही रहता है कि इसका निर्माण मंडलीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। सभी रनिंग रूम, स्टेशन क्षेत्र में ही है। गडहरा के क्रू को लाने से जाने हेतु क्रू के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की व्यवस्था की गई है।
3.2	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार रेल सुरक्षा बल बैरक को रनिंग रूम की तर्ज पर बनाया जाए ।	मुसुआ	रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार मंडल में प्रस्तावित बैठक के निर्माण तथा निर्मित रेसुब बैठक में आधुनिकीकरण सुविधा के लिए मंडलों द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है।
3.3	जिन स्थानों पर रेल सुरक्षा बल के पोस्ट या बल तैनात हैं उन सभी स्थानों पर बैरक का निर्माण कराया जाए ।	मुसुआ	रेल सुरक्षा बल के पोस्ट / आउट पोस्ट जहां पर बैरक उपल्बध नहीं है,निर्माण हेतु इंजीनियरिंग विभाग संबंधित मंडलों द्वारा पत्राचार किया जा रहा है।
3.4	नवीनगर एवं टोरी में काफी दिनों से पोस्ट एवं रेल सुरक्षा बल तैनात हैं । जब तक बैरक का निर्माण नहीं होता हैं	मुसुआ	नवीनगर एवं टोरी में बैरक निर्माण के लिए संबंधित मंडल को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित

	वहाँ पर पदस्थापित रेल सुरक्षा बल को रहने का इंतजाम कराया जाए ।	प्रमुइं	किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के बैरक निर्माण हेतु कार्य प्रस्ताव संबंधित विभाग से आपेक्षित है। यथोचित प्रस्ताव आने पर आगे कि कार्यवाही की जायेगी। साथ ही अस्थायी तौर पर टोरी में पदस्थापित रेलवे सुरक्षाबल के रहने के लिए व्यवस्था की गयी है।
3.5	रेल सुरक्षा बल को भोजन की उपलब्धता की गंभीर समस्या से परेशान है । समस्तीपुर मंडल में कोई भी बैरक में खाना बनाने हेतु सरकारी कुक की व्यवस्था नहीं है । बैरक में रेल सुरक्षा बल द्वारा स्वयं भोजन बनाया जाता है या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है ।	मुसुआ	रेसुब को भोजन की उपलब्धता की समस्या को दूर करने हेतु 13 कुक एवं कुक मेट की प्रशासनिक स्वीकृति महाप्रबंधक पूमरे ,हाजीपुर से एवं वित्तीय सहमति प्रविस ,हाजीपुर से लेकर समस्तीपुर मंडल को भेजा गया है। दानापुर मंडल में–15, सोनपुर मंडल में 09, मुगलसराय मंडल में 10 धनबाद मंडल में 13, प्र0के0 मोकामाघाट को 18 कुक/कुकमेट उपलब्ध कराया गया है।
3.6	रेल सुरक्षा बल के बैरक में कुक हेतु आउटसोर्सिग के लिए दिशा–निर्देश जारी किया जाए। जब तक अगला ठेका नहीं होता है तब तक ऐसा प्रावधान किया जाय कि जो ठेकेदार द्वारा भोजन बनाया जा रहा है उसे ही जारी रखा जाए।	मुसुआ	रेसुब को भोजन की उपलब्धता की समस्या को दूर करने हेतु 13 कुक एवं कुक मेट की प्रशासनिक स्वीकृति महाप्रबंधक पूमरे ,हाजीपुर से एवं वित्तीय सहमति प्रविस ,हाजीपुर से लेकर समस्तीपुर मंडल को भेजा गया है। दानापुर मंडल में–15, सोनपुर मंडल में 09, मुगलसराय मंडल में 10 धनबाद मंडल में 13, प्र0के0 मोकामाघाट को 18 कुक/कुकमेट उपलब्ध कराया गया है।
3.7	रेल सुरक्षा बल के बैरक के साथ कुक का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ।	मुसुआ	नोट किया गया।
3.8	पोलियो अभियान के तर्ज पर संकल्प बनाकर स्वच्छता अभियान को चलायाा जा सकता है ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं स्वच्छता अभियान सफलता के साथ जारी है | पोस्टर,बैनर, जन संबोधन प्रणाली के अलावे ट्वीटर, एस.एम.एस, 139 पर प्री-रिकार्डेड संदेश आदि माध्यमों से डिजिटल इंडिया को साकार करते हुए यात्रियों**

			को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। –**प्रमुवाप्र** पोलियो अभियान के विपरीत यह नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।– **प्रमुयांई** रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशानुसार समय–समय पर स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।– **प्रमुकाधि** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** समय–समय पर स्वाच्छता अभियान चलाया जाता है। –**प्रमुचिनि** नोट किया गया –**प्रविस** नोट किया गया । –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।– **मुसंधि** इसके लिए सभी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। **–प्रमुइं**
3.9	जहां पर रेलवे कॉलोनी वार्ड के अधीन हैं वहां पर वार्ड सदस्य की सहायता लेकर सफाई कराने पर ध्यान देने की जरूरत है ।	प्रमुचिनि	यथा संभव प्रयास किया जाएगा।
3.10	सफाई कार्य हेतु ठेकेदार को स्पष्ट दिशा–निर्देश दिया जाना सुनिश्चित किया जाय कि रेलवे कॉलोनी स्थित सभी स्थानों जैसे–बैरक, कार्यालय इत्यादि की सफाई उसी ठेकेदार को करना है । ठेका देते समय इस शर्त को दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुचिनि	पूमरे द्वारा साफ–सफाई से संबंधित बनाये गये संयुक्त प्रक्रिया आदेश **वर्ष 2015 के पैरा 2.3.1 में स्पष्ट रुप से वर्णित है** The user departments will be responsible for efficient maintenance of sanitation in their respective areas.
3.11	'बी' श्रेणी के सभी स्टेशनों के दोनों छोर पर शौचालय का निर्माण कराया जाए ।	प्रमुइं	एमईए के अनुसार 'B' श्रेणी के स्टेशन पर 06 शौचालय होने चाहिए और नार्म्स के अनुसार लगभग सभी स्टेशनों पर शौचालयों की व्यवस्था है।
3.12	कभी–कभी बड़े–बड़े स्टेशनों पर अचानक बिजली गुम हो जाने पर बिल्कुल अंधेरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाती है। इस स्थिति से निपटने हेतु निर्भया फंड	प्रमुविइं,	बिजली गुम हो जाने पर बड़े–बड़े स्टेशनों पर इमरजेन्सी लाईट के लिए डीजी सेट उपलब्ध है जिसके द्वारा प्लेटफार्म पर लाईट दिया जाता है।

	से स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर इमरजेंसी लाईट के कुछ प्वाइंट दे दिए जाएं जिससे इतना प्रकाश मिल सके कि असामाजिक तत्व कोई नाजायज फायदा न उठा सकें।	प्रविस	यह मद इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। फिर भी इस संबंध में सूचित किया जाता है कि निर्भया फंड क अंतर्गत वर्ष 2017–18 में कोई बजट आवंटन नहीं है।
3.13	हमारे रेलवे के बहुत से जमीन पर अवैध लोगों के द्वारा कब्जा कर उसका दुरूपयोग किया जा रहा है। रेलवे का जो जमीन सीधे तौर से प्रयोग नहीं होने वाला है उसको चिन्हित कर उसे अपने कब्जे में अविलंब लेने की आवश्यकता है।	प्रमुइं मुसुआ	रेलवे के जमीन पर अवैध लोगो द्वारा कब्जा रोकने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। जिसका वर्क मैनुअल के पैरा सं0 815 में मौजूद है जिसका एन्क्सचर–1 में संलग्न है। रेलवे के जमीन पर अवैध लोगों के द्वारा कब्जे की रिर्पोट मिलने पर समय–सयम पर पी0पी0ई0 एक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की मदद से कार्यवाही की जाती है तथा खाली कराए गए रेलवे की जमीन को अपने कब्जे मे ले लिया जाता है साथ ही रेलवे की जमीन पर कब्जों को रोकने के लिए वर्क्स मैनुअल के पैरा 815 के तहत स्टेशन मास्टर चीफ गुड्स क्लर्क, आरपीएफ निरीक्षक एवं सभी सेक्शन इंजी0 का सहयोग अपेक्षित है। संबंधित विभाग द्वारा रेलवे का अतिक्रमण हटाने के संबंध की गई कार्रवाई में रेसुब द्वारा हर संभव सहयोग किया जाता है तथा उक्त मद इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है।
3.14	सिमरिया में रेल के जमीन पर जिला द्वारा ठेका कराया जाता है जिसका राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है । अविलंब सिमरिया में स्थित रेल जमीन को रेल अपने अधीन में लेना सुनिश्चित करे ।	प्रमुइं मुसुआ	मामले की जॉच करायी जा रही है। इसके लिए मंडल को पत्र लिखा गया है। (जिसका पत्र संख्या : डब्लू–4/377/09/प्रेम/भाग.–V, दिनांकः 28.08.2017 है) मंडल इस दिशा मे कार्य कर रहा है और दिनांकः12.12.2017 को अनुस्मारक पत्र भी लिखा गया है। अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है।

4.0	**श्री ओ.पी. चौधरी , कार्यकारी महासचिव / ईसीआरपीएफए**		
4.1	धनबाद के बैरक में एक ही बेड पर 04–04 लोग रहते हैं वहां बैरक में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए ।	मुसुआ	धनबाद के बैरक में बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए मंडल द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
4.2	मुगलसराय में एक छोटे से रूम में 05 बेड उपलब्ध है लेकिन गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ गई है । इसलिए मुगलसराय के बैरक में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए ।	मुसुआ	मुगलसराय मंडल को अनुपालन के लिए एवं बैरकों में बेडों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है।
4.3	गया में भी मार्गरक्षण दल/आरपीएफ के लिए बेडों की संख्या को बढाई जाय क्योंकि जगह के अभाव में एस्कॉर्ट पार्टी को इधर–उधर घूमना पड़ता है। उनके लिए स्थान चिन्हित करके उन्हें रहने हेतु दे दिया जाय जिससे उनके कार्य की गुणवता भी बढेगी एवं हथियार भी सुरक्षित रहेगा।	मुसुआ	अनुपालन के लिए संबंधित मंडलों को निर्देशित किया गया।
4.4	स्वच्छता के लिए टिकट चेकिंग के तर्ज पर वाणिज्य विभाग एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा चेकिंग किया जाए जिसमें गंदगी फैलाने वालों पर दंड लगाया जाए तथा स्वच्छता के लिए प्रचार प्रसार का भी प्रावधान हो ।	मुसुआ प्रमुवाप्र	स्वच्छता के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को जागरूक करने का सतत् प्रयास किया जा रहा है तथा वाणिज्य विभाग से समन्वय कर अभियान चलाया जा रहा है। **स्वच्छता के लिए प्रचार प्रसार कर रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों को जागरूक करने का अभियान सफलतापूर्वक लागू है । गं दगी फैलाने पर दंड रू. 500/- का प्रावधान है ।**
4.5	सभी बैरकों में कुक के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।	मुसुआ	रेसुब को भोजन की उपलब्धताकी समस्या को दूर करने हेतु 13 कुक एवं कुक मेट की प्रशासनिक स्वीकृति महाप्रबंधक पूमरे ,हाजीपुर से एवं वित्तीय सहमति प्रविस ,हाजीपुर से लेकर समस्तीपुर मंडल को भेजा गया है। दानापुर मंडल में –15,सोनपुर मंडल में 09,मुगलसराय मंडल में 10 धनबाद मंडल में 13, प्र0के0 मोकामाघाट को 18 कुक/कुकमुट उपलब्ध कराया गया है।

4.6	पटना साहिब स्टेशन के बैरक के बगल में शौचालय है और वह खुला है, उसे ठीक कराया जाए ।	मुसुआ प्रमुइं	अनुपालन के लिए संबंधित मंडलों को निर्देशित किया गया। उसे ठीक किया जा रहा है।
4.7	सभी मंडलों के कार्मिक विभाग को आदेश जारी किया जाए कि द्वितीय श्रेणी की रेलवे पास रेल सुरक्षा बल को पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित कराया जाए ।	मुसुआ प्रमुकाधि	अनुपालन के लिए नोट किया गया। रेलवे सुरक्षा बल/हाजीपुर को उनको अनुरोधानुसार अपेक्षित पासों की आपूर्ति कर दी गई है।
5.0	**श्री पी.आर. सिंह,महासचिव/इसीआरपीओए**		
5.1	चालक को रनिंग रूम में पहुंचने पर, चूंकि वह 8–10 घंटे की ड्यूटी करके आता है, इंतजार नहीं करना पड़े । उसे अपने बेड के लिए इंतजार करना उचित नहीं है। कम–से–कम एक–दो फोल्डिंग होने चाहिए या एक–दो कमरे स्पेयर होने चाहिए।	प्रमुविइं, प्रमुयांई	विधुत अधीन रनिंगरूम में ऐसी शिकायत नहीं है। बेडों की सम्पूर्ण व्यवस्था है। इंतजार नहीं करना पडता है।
5.2	दूसरा एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है जो रेलवे बोर्ड ने 1994–95 में जारी किया है कि जो सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ हैं उनको उनके लेजिटिमेट ड्यूटी के अलावा किसी अन्य कार्य में न लगाया जाय। यह बात इंजीनियरिंग विभाग के मामले में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें असिस्टेंट इंजीनियर्स और गैंगमैन के बारे में जिक्र है। हमलोग बार–बार यह देखते हैं कि टिकट चेकिंग ड्राइव या समयपालन ड्राइव या स्वच्छता अभियान है इसमें जो आफिसर्स के लिए शिड्यूल बनता है उसमें हमारे फील्ड के जो असिस्टेंट इंजीनियर्स होते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। जबकि फैक्ट यह है कि सेफ्टी से रिलेटेड जो उनकी ड्यूटीज हैं वही इतना ज्यादा है कि वे 30 दिन काम करके भी उसको पूरा नहीं कर सकते। इस स्थिति में उन्हें ऐसे काम में लगाना जो उनकी मुख्य ड्यूटी का पार्ट नहीं है तो यह सिस्टम के लिए ठीक नहीं है।	प्रमुइं , मुसंधि प्रमुवाप्र	इंजी0 विभाग द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर्स और गैंगमैन को टिकट चेकिंग ड्राइव या समयपालन ड्राइव या स्वच्छता अभियान में नहीं लगाया जाता है और यह सुरक्षा की दृष्टि आवश्यक भी है। समय–समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सभी विभाग के एस.ए.जी अधिकारियों को औचक रात्रि निरीक्षण कार्य हेतु पत्र निर्गत किया जाता है। कनिष्क अधिकारियों के संबंध में ऐसे दिशा– निर्देश संबद्व विभाग अथवा मंडल स्तर पर जारी किया जाता है। **विभिन्न अधिकारियों की टिकट चेकिंग में तैनाती रेलवे बोर्ड की नीति के तहत की जाती है ।**

5.3	प्वाइंट्स एंड क्रासिंग का ज्वाइंट इंस्पेक्शन और उसका कम्प्लाएंस एक बहुत ही वाइटल आईटम है जिसका कि यार्ड डिरेलमेंट्स में कंट्रीब्यूशन होता है और चूंकि बहुत सारे आइटम्स के कम्प्लाएंस सिग्नल और इंजीनियरिंग दो विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि जैसा कि सोनपुर मंडल में इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए इसे मंडल स्तर पर सोमवार के बैठक का एजेंडा बना दिया था। इससे सोनपुर मंडल की यार्ड सेफ्टी का परफौर्मेंस सुधरा भी था। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसको रेलवे सेफ्टी के इंटरेस्ट में सोमवार बैठक का एजेंडा आईटम बनाया जाय।	प्रमुसिदूइं, प्रमुइं,	नोट किया गया। प्वाइंट एण्ड क्रांसिग का ज्वाइंट इंस्पेक्शन शिडयूल के अनुसार किया जा रहा है। चर्चित बैठक में इन मदों पर चर्चा की जाती है।
5.4	फायर फाइटिंग पर जे.पी.ओ बनाया जाना सुनिश्चित की जाए ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं** **संरक्षा एवं सुरक्षा विभाग समन्वय स्थापित कर इस प्रस्तावित जे.पी.ओ. का प्रारूप तैयार कर सकते हैं | विभिन्न विभाग द्वारा उन्हें इनपुट्स दिया जा सकता है |** –**प्रमुवाप्र** जेपीओ बनाने के लिए नोडल ऑफिसर का नॉमीनेशन किया जाना चाहिए। अभी सभी विभाग अपने फायर फाइटिंग इक्यूपमेंट का रख रखाव कर रहे हैं।–**प्रमुयांई** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** नोट किया गया –**प्रविस** नोट किया गया । –**प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।– **मुसंधि** सभी संबंधित विभाग से विचार विर्मश अपेक्षित है।– **प्रमुइं**
5.5	परित्यक्त आवासों को तोड़कर उसके स्क्रैप की नीलामी कर रेल राजस्व में बढ़ोत्तरी की जाए ।	प्रमुइं,	नये आवास स्वीकृत हाने पर परित्यक्त आवासों को तोड़ने एवं स्थल खाली करने में जो स्क्रेप

		प्रमुसाप्र	निकलता है उसे निलामी कर समुचित निष्पादन कर रेल राजस्व प्राप्त किया जात है। परित्यक्त आवासों को तोड़ने के पश्चात आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
5.6	हाजीपुर–पटना के बीच और अधिक ट्रेनों को परिचालित की जाए ।	मुपरिप्र	पाटलिपुत्रा–सोनपुर खंड सिंगल लाईन होने के कारण एवं पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता को देखते हुए वर्तमान में अधिक ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं है ।
5.7	हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गाड़ियों की आने की उद्घोषणा 10–15 बार की जाती है जबकि यह 02–03 बार होनी चाहिए और अगले आने वाली गाड़ियों की घोषणा 01–02 बार किया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुपरिप्र प्रमुवाप्र	नोट किया गया । **इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सोनपुर, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर के मुख्य टिकट निरीक्षक (स्थिर इकाई) को सूचित कर दिया गया है ।**
6.0	**श्री महेन्द्र कुमार, अध्यक्ष/एससी एण्ड एसटी एशोशिएसन**		
6.1	लेको पायलट/सहायक लोको पायलट अपना ड्यूटी ऑफ करने के बाद रनिंग रूम में रेस्ट करने जाने से पहले अपना बैग लेकर पहले खाना बनाने के लिए समान हेतु बाजार जाते हैं उसके बाद रनिंग रूम में जाते हैं इससे कर्मचारियों का काफी समय बर्बाद हो जाता है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ।	प्रमुविइं प्रमुयांई	विधुत विभागाधीन मुगलसराय एवं दानापुर के सभी रनिंगरूम का outsourcing किया जा चुका है जब की धनबाद मंडल में 50% हो गया है बाकी process में है। अभी रनिंग रूम आउटसोर्स किया हुआ है। भविष्य में सब्सीडाइज्ड मील की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।
6.2	रनिंग रूम की मेंटेनेंस के लिए आउटसोर्सिग को दिया गया है जिसका समय–समय पर निरीक्षण नहीं होने के कारण बाहरी लोग रंनिंग रूम में रहते हैं जिससे रनिंग कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है इसे सुधार करने की आवश्यकता है।	प्रमुविइं, प्रमुयांई	इस तरह की शिकायत सामने नहीं आया है। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
6.3	निरीक्षक कर्मचारियों के लिए भी रनिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** नोट किया गया –**प्रविस** इस पर विचार किया जाएगा ।–

			प्रमुपरिप्र नोट किया गया।– **मुसंधि** निरीक्षक कर्मचारियों के लिए भी रनिंग रूम की व्यवस्था करना एक नीतिगत मामला है। **– प्रमुइं**
6.4	रेलवे कॉलोनी में अधिकतम सफाई कार्य आउटसोर्सिग के माध्यम से हो रहा है और सफाई के लिए जेसीबी मशीन का प्रयोग होता है । लेकिन जेसीबी मशीन द्वारा कचरा को निकालकर सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है जिससे आधा कचरा पुनः नाले में ही चला जाता है एवं वहॉ के लोगों को आने–जाने में काफी परेशानी होती है । ऐसी व्यवस्था किया जाए कि कचरा निकालकर उसका निष्पादन कर दिया जाए ।	प्रमुचिनि	नाले से निकाले गये कचरे का निष्पादन ट्रेक्टर टेलर से नगरपालिका के द्वारा नामित स्थल पर नियमित रुप से किया जाता है।
6.5	रेलवे कॉलोनी की सफाई करने की व्यवस्था ऐसे किया जाय जिस प्रकार स्टेशन की सफाई हेतु हमेशा निरीक्षण किया जाता है उसी प्रकार कॉलोनी की सफाई हेतु रेलवे एक टीम बनाकर, रेलवे कॉलोनी की सफाई व्यव्स्था को ठीक किया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुचिनि	रेलवे कॉलोनियों में साफ–सफाई वमंचिधि/स्वास्थ्य के अधीन स्वास्थ्य निरीक्षक के द्वारा नियमित रुप से कराया जाता है साथ ही साथ उच्च पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी लगातार किया जाता है।
6.6	रेलवे कॉलोनी के बहुत से पानी टंकी में चेकबॉल नहीं होने के कारण पानी गिरते रहता है जिससे गंदगी होता है । यह सुनिश्चित किया जाए कि रेलवे कॉलनी के सभी पानी टंकी में चेकबॉल लगाया जाए ।	प्रमुइं	इस दिशा में सभी मंडल हेतु दिशा निर्देश जारी है।
7.0	**श्री आर.एन.पासवान,महासचिव/एससी एण्ड एसटी एशोशिएसन**		
7.1	दानापुर मंडल में झाझा के रनिंग रूम में चालक को सही समय खाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा कुक द्वारा चालक को पूरी मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुविइं,	झाझा रनिंगरूम में सिर्फ बड़े रसोई घर एवं Drawing space की आवश्यकता है,जिसके लिए संबंधित अधिकारी को अग्रसारित किया जा चुका है।
7.2	राजगीर के रनिंग रूम के प्रवेश द्वार पर ही चार बेड लगा हुआ है जबकि एक या 02 बेड से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें सुधार करने की	प्रमुयांई	राजगीर में 15 बेडों का नया रनिंग रूम का निर्माण आर.ई के द्वारा कराया जा रहा है।

	आवश्यकता है ।		
7.3	बक्सर स्टेशन पर गुड्स ट्रेन के चालक/गार्ड के लिए रनिंग रूम की कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए 04 नम्बर की रूम गुड्स ट्रेन के चालक/गार्ड के लिए रनिंग रूम हेतु देना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुयांई	बक्सर स्टेशन पर रूम नं0 4 गुड्स ट्रेन के क्रू के लिए आवंटित कर दिया है।
7.4	मुगलसराय के रनिंग रूम में आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी गुटखा का प्रयोग करते हैं जिससे रनिंग रूम के कर्मचारी को भोजन में भी गुटखा मिल जाता है । इस संबंध में ठेकेदार को निर्देशित किया जाए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी गुटखा का प्रयोग न करें ।	प्रमुविइं प्रमुयांई	उचित निर्देश दिया जा चुका है। रनिंग रूम में गुटखा इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
7.5	रेलवे कॉलनी की सफाई में अगर प्राइवेट लोग सहयोग करते हैं तो उसे रेलवे को अपनाना चाहिए ।	प्रमुचिनि	सुझाव ग्राह्य है।
8.0	**श्री पी. के. सिंह ,महासचिव ओबीसी एसोसिएसन**		
8.1	चालक को रनिंग रूम में रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशानुसार सभी सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुविइं प्रमुयांई मुपरिप्र	प्रकियाधीन है। चालक को रनिंग रूम में रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सुविधा दी जा रही है। यह सुनिशिचित किया जा रहा है।
8.2	रक्सौल के रनिंग में सुधार किया जाना सुनिश्चित की जाए साथ ही साथ बेडों की संख्या में वृद्धि की जाए।	प्रमुविइं प्रमुयांई मुपरिप्र	**यांत्रिक विभाग से संबंधित है।** यह मद परिचालन विभाग से संबंधित है। आवश्यक कार्रवाई सुनिशिचित की जा रही है।
8.3	बक्सर के रनिंग रूम में बेडों की संख्या में वृद्धि की जाए ।	प्रमुयांई	बक्सर के रनिंग रूम में बेडों की संख्या पर्याप्त है।
8.4	झाझा के रनिंग रूम में किचेन की स्थिति में सुधार किया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुविइं प्रमुयांई प्रमुइं	प्रकियाधीन है। यह मद विद्युत विभाग से संबंधित है। झाझा के रनिंग रूम में किचेन की स्थिति में सुधार किया जा रहा है।
8.5	राजगीर के रनिंग रूम के छत को मरम्मत किया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुयांई प्रमुइं	राजगीर के रनिंग रूम के छत का मरम्मत इंजीनियरिंग विभाग द्वारा करा लिया गया है। राजगीर के रनिंग रूम के छत को मरम्मत कराया जा रहा है।

8.6	बरौनी स्थित टीटीई रेस्ट रूम की देखरेख आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुवाप्र	**बरौनी टीटीई रनिंग रूम के सफाई एवं रख-रखाव कार्य हेतु आउटसोर्सिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत निविदा की जा चुकी है। प्राप्त आवेदनों पर कारवाई सुनिश्चित की जा रही है ।**
8.7	बरौनी स्थित टीटीई रेस्ट रूम दो रेल लाईन के बीच जर्जर स्थिति में है,इसे उचित स्थान पर शिफ्ट किया जाए।	प्रमुवाप्र प्रमुइं	**बरौनी में नवनिर्मित टीटीई विश्रामालय की व्यवस्था की गई है ।** बरौनी में नया 70 बेड का टीटीई रनिंग रूम का निर्माण करा दिया गया है और टीटीई उसमें शिफ्ट कर गए है।
8.8	मानसी के रनिंग रूम को ठीक करना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुयांई, प्रमुइं	मनसी रनिंग रूम में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रनिंग रूम का कार्य आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। मानसी के रनिंग रूम का सर्वे करा कर, जो भी उसमें कमी होगी उसे ठीक करा दिया जायेगा।
8.9	सभी प्लेटफार्म पर मूत्रालय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुइं प्रमुवाप्र	सभी स्टेशनों पर मुत्रालय की व्यवस्था है। **मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफार्म पर मूत्रालय की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है ।**
8.10	बरौनी में दोनों तरफ शौचालय बना है जिसपर प्राइवेट कर्मचारी तैनात हैं और पेशाब करने हेतु यात्री से 05 रूपये और शौचालय करने हेतु 10 रूपय की वसूली की जाती है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।	प्रमुवाप्र	**संवेदक को रू. 500/- आर्थिक जुर्माना किया गया है । इसके अलावे निर्धारित शुल्क लेने हेतु संवेदक को निर्देशित किया गया है ।**
8.11	गाड़ियों में बॉयो टवायलेट लगे हुए हैं लेकिन यात्रियों को उपयोग करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं** **कर्मचारी द्वारा यात्रियों को इसका उपयोग करने हेतु जागरूक किया जा रहा है । –प्रमुवाप्र** 1.दिशा–निर्देश टॉयलेटों में चिपकाए गए हैं। 2.विगत दो पखवाडों के दौरान विशेष अभियान भी चलाया गया है। 3.बॉयो–टॉयलेट कट मॉडल का प्रदर्शन विषेश स्टेशनों पर किया गया है।

			4.स्पेशल ऑडियो क्लिप बनाया गया है तथा सभी स्टेशनों पर चलाया जाता है। –**प्रमुयांई** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** इस संबंध में आवश्यक पंयास की जाएगी। –**प्रविस**
8.12	रेलवे कॉलनी में साफ–सफाई कराया जाना सुनिश्चित की जाए तथा रेलवे कॉलनी में जगह–जगह डस्टबीन रखना भी सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुचिनि	रेलवे कॉलोनी की साफ–सफाई की जाती है। सीमेंटेड डस्टबीन उपलब्ध है एवं अधिक संख्या में उपलब्धता हेतु इंजीनियरिंग विभाग से पत्राचार की जायेगीं।
8.13	बिहार में बाढ़ प्रभावित स्टेशन पर गंदगी हो रहा है । पानी के कम होने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाले स्टेशन योजना बनाकर सफाई कराया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	चिकित्सा विभाग के अधीन स्टेशनों पर बाढ के समय साफ–सफाई हेतु विशेष अभियान चलाये जाते है। **बाढ़ प्रभावित स्टेशनों की सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए सुनिश्चित कराई गई है ।**
9.0	**श्री टी.पी. सिंह, अपर महाप्रबंधक**		
9.1	अपर महाप्रबंधक ने पूर्व मध्य रेल के रनिंग रूम के बारे में बताया कि बहुत ही खराब स्थिति है । रनिंग रूम में सुविधा हेतु 164 आइटम हैं जो कि आरडीएसओ के साइट पर उपलब्ध हैं।	प्रमुविइं, प्रमुयांई	सुधार की प्रक्रिया जारी है। रनिंग रूम में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आरडीएसओ के साईट पर उपलब्ध 164 के तहत सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।
9.2	पूर्व मध्य रेल में नया रनिंग रूम/रेस्ट रूम स्वीकृत हैं तो उसे नये तर्ज पर सुविधायुक्त बनाया जाए तथा पूर्व मध्य रेल में बेस्ट रनिंग रूम बनाने का उदाहरण पेश करना चाहिए।	प्रमुविइं, प्रमुयांई, प्रमुइं	नोट किया गया। सुनिश्चित की जा रही है। जो भी रनिंग रूम/रेस्ट रूम स्वीकृत होगें उन्हें उसी तर्ज पर बनाया जाएगा।
9.3	गया रेलवे कॉलनी के नालों के ढक्कन टुटकर उसी नालों में पड़े हैं तथा रेलवे कॉलनी के खुले नालों की सफाई कराना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुचिनि, प्रमुइं	नालों में पडे टुटे हुए ढक्कन को निकाल दिया गया है तथा नियमित रुप से नालों की सफाई किया जाता है। नाले की सफाई के दौरान चिकित्सा विभाग के सफाई कर्मी द्वारा नालों का ढ़क्कन हटाया जाता है। पुनः नाले पर ढक्कन रखने की जिम्मेवारी चिकित्सा विभाग के सफाई कर्मी की है। कुछ ढ़क्कन टूटे है उनको जल्द ही नया लगा दिया जाएगा।

9.4	नये कॉलनी की निर्माण स्वीकृति हो तो उसमें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान एवं ट्री प्लान होना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुइं	अनुपालन हेतु नोट किया गया है।
9.5	सफाई रखने हेतु कुड़ा डिस्पोजल के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुचिनि प्रमुवाप्र	कुडा का निष्पादन ट्रेक्टर टेलर से नगरपालिका के द्वारा नामित स्थल पर नियमित रुप से किया जाता है। **इस कार्य हेतु EnHM नोडल विभाग है।**
9.6	स्टेशन एवं कॉलनी की सफाई हेतु पीपीपी मोड़ पर कुड़ा के डिस्पोजल हेतु प्लान बनाना सुनिश्चित की जाए।	प्रमुचिनि	यह नीतिगत मामला है।
9.7	स्टेशन के स्वच्छत रखने हेतु मेट्रो एवं लोकल गाड़ियों के यात्रियों को कल्चर सिखाना आसान है परन्तु मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के यात्रियों के लिए स्टेशन पर लगातार स्टेशन को स्वच्छ रखने हेतु विडियो चलाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुचिनि प्रमुसिदूइं	जिन स्टेशनों पर टेलीविजन स्थापित है वहॉ वाणिज्य विभाग द्वारा स्टेशनों के स्वच्छ रखने हेतु विज्ञापन दिखाया जाता है। नोट किया गया। समय–समय पर प्लेटफार्म अनाउंसमेंट में स्टेशन परिसर को साफ रखने के संबंध में जानकारी दी जाती है तथा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता संबंधी वीडियो चलाया जाता है।
10.0	**श्री डी. के. गायेन , महाप्रबंधक**		
10.1	महाप्रबंधक महोदय ने रनिंग रूम/रेस्ट रूम तथा स्वच्छता के संबंध में बताया कि सिस्टम को सुधारना आवश्यक है । इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाकर नहीं किया जा सकता है ।	प्रमुविइं प्रमुयांई	लागू है। CMS Engineering तथा आउटसोर्सिंग स्टाफ के समन्वय से स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं
10.2	किसी कार्य को संविदा पर देते समय अच्छे ठेकेदार का चयन करना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं** **ठीकेदार की चयन प्रक्रिया में नियमानुसार सभी उचित मापदंडों को अपनाया जाता है । –प्रमुवाप्र** रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्टेशन एवं ट्रेनों के रख–रखाव संबंधी स्टैण्डर्ड बिड डॉक्यूमेंट(एस.बी.डी.)प्रक्रियाधीन है। –**प्रमुयांई** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** रेल परिषद के दिशानिर्देश एवं मुख्यालय द्वारा बनाये गये नीति के

			आधार पर संविदा का कार्य किया जाता है। –**प्रमुचिनि** किसी कार्य को संविदा पर देते समय अच्छे ठेकेदार का चयन किया जाता है। –**प्रविस** नोट किया गया ।– **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।– **मुसंधि** कार्य को संविदा पर रेलवे के नियमानुसार ही दिया जाता है।– **प्रमुइं**
10.3	संविदा के शर्त को कड़ी करना सुनिश्चित की जाए ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं** **संविदा में नियमानुसार सभी उचित मापदंडों को अपनाया जाता है** **।–प्रमुवाप्र** कडी पेनाल्टी का प्रावधान संविदा में किया जा रहा है। –**प्रमुयांई** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** नीतिगत मामला है। –**प्रमुचिनि** नोट किया गया –**प्रविस** नोट किया गया ।– **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।– **मुसंधि** संविदा के शर्त रेलवे के नियमानुसार ही सुनिश्चित की जाती है।– **प्रमुइं**
10.4	ऐसेट तैयार करते समय छोटी–छोटी बातों पर ध्याना देना सुनिश्चित की जाए ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं** **नोट किया गया । –प्रमुवाप्र** एसेट तैयार करते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना सुनिश्चित किया जाएगा। –**प्रमुयांई** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुचिनि** ऐसेट तैयार करते समय दोटी –छोटी बातों पर घ्यान दिया जाता है। –**प्रविस** नोट किया गया ।– **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।– **मुसंधि** नोट किया गया। **– प्रमुइं**

10.5	रेलवे कॉलनी की सफाई कार्य ठेके के माध्यम से करने की पहल की जाए ।	मुचिनि	ठेके के माध्यम से रेलवे कॉलोनियों के साफ–सफाई हेतु प्रक्रिया किया जा रहा है।
10.6	एक समिति बनाकर रेलवे कॉलनी की सफाई व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है ।	सभी विभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रमुविइं** नोट किया गया। –**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुसिदूइं** समिति बनाने हेतु अन्य विभाग से समन्वय का प्रयास किया जाएगा। –**प्रमुचिनि** नोट किया गया –**प्रविस** नोट किया गया ।– **प्रमुपरिप्र** कॉलोनी की सफाई व्यवस्था के लिए कॉलोनी केयर कमेटी बनी हुई है तथा कॉलोनी केयर कमेटी के द्वारा इंगित कार्य तत्परता के साथ किए जाते हैं।– **प्रमुइं**

****